

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्र संख्या-12/वि0-237/2024-796

पटना, दिनांक- 30.05.2025

एजेंसी मेसर्स मैकमिलन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के कार्यालय आदेश संख्या-93-सह-पठित ज्ञापांक-2765 दिनांक-31.12.2024 एवं कार्यालय आदेश संख्या-94-सह-पठित ज्ञापांक-2766 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा किये गये डिबार के विरुद्ध दायर अपील अभ्यावेदन दिनांक-22.05.2025 के सुनवाई के संबंध में।

22.05.2025

आदेश

एजेंसी मेसर्स मैकमिलन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, B-123 बुद्धा कॉलोनी, नियर हॉस्पिटो इडिया, पटना पिन-800001 एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज सुनवाई में उपस्थित।

प्रस्तुत मामला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत एजेंसी, मेसर्स मैकमिलन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सूचीबद्धता संख्या-130820240521/2024) को एकरारनामा संख्या-SBD-07/2018-2019, MBD-50, 45, 47, 41, 52/2019-20 के तहत योजनाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधी कार्य सम्यक रूप से नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के कार्यालय आदेश संख्या-93-सह-पठित ज्ञापांक-2765 दिनांक-31.12.2024 एवं कार्यालय आदेश संख्या-94-सह-पठित ज्ञापांक-2766 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के विरुद्ध संवेदक द्वारा डिबार मुक्त करने हेतु अपील दायर किये जाने से संबंधित है।

संवेदक द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत उक्त एकरारनामा के तहत आवंटित कार्य पूर्ण करने के उपरांत डिबार से मुक्त करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णिया के प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र पूर्णिया के पत्रांक-221 दिनांक-25.02.2025 के द्वारा संवेदक को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णिया प्रक्षेत्र पूर्णिया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक-22.05.2025 को सुनवाई की गई जिसमें संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज द्वारा भाग लिया गया। अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज द्वारा योजनाओं की जाँच के उपरांत उन्हें तुरंत ही कार्रवाई कर चालू करा दिया गया है। निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के तहत उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है लेकिन बिना कारण पृच्छा प्राप्त किये एवं उन्हें निविदा में भाग लेने से वंचित करने का आदेश बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं विधि सम्मत नहीं है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा कृत एकरारनामा में विहित शर्तों के तहत योजना संबंधी कार्य निर्धारित गानक के अनुरूप नहीं करने एवं कतिपय निदेशों के बावजूद भी संपोषण एवं मरम्मत कार्य में अतिरुकी नहीं लेने के कारण संवेदक को डिबार किया गया था। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डिबार करने के बाद संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है एवं सभी वार्डों के पम्प चालक के भुगतान के साथ विद्युत विपत्र का अद्यतन भुगतान भी किया जा चुका है।

12

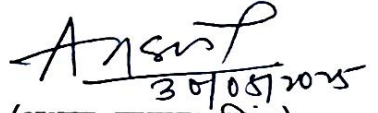
अतः सम्यक समीक्षोपरांत एतद् द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज के कार्यालय आदेश संख्या-93-सह-पठित ज्ञापांक-2765 दिनांक-31.12.2024 एवं कार्यालय आदेश संख्या-94-सह-पठित ज्ञापांक-2766 दिनांक-31.12.2024 द्वारा संवेदक मेसर्स मैकमिलन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (सूचीबद्धता संख्या-130820240521/2024) को निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) करने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के अंतर्गत प्रावधानित दंड के अनुरूप योजना के अवयवों के संपोषण एवं मरम्मत कार्य नहीं किये जाने तथा जलापूर्ति बाधित अवधि हेतु निर्धारित दंड की वसूली सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता सभी योजनाओं के विद्युत खपत की सघन जाँच कर क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर ही विपत्र की अधियाचना एवं भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

ह0/-  
(पंकज कुमार)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-12/वि0-237/2024- 796

पटना, दिनांक- 30.05.2025

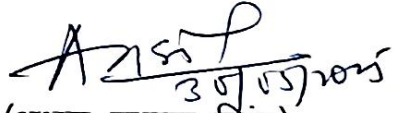
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अभय कुमार सिंह)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-237/2024- 796

पटना, दिनांक- 30.05.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

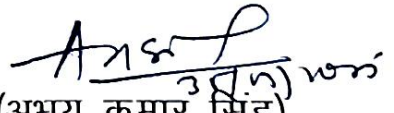
  
(अभय कुमार सिंह)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-237/2024- 796

पटना, दिनांक- 30.05.25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, किशनगंज /संवेदक, मेसर्स मैकमिलन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, B-123 बुद्धा कॉलोनी, नियर हॉस्पिटो इंडिया, पटना पिन-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अभय कुमार सिंह)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-237/2024- 796

पटना, दिनांक- 30-05-2025

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(अमय कुमार सिंह)  
मुख्य अभियंता (रूपांकण)